न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प चावण्डिया

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 52/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. सज्जन सिंह पिता किशन सिंह राजपुत निवासी चावण्डिया तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

––प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पिता मूला कुमावत निवासी चावण्डिया तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. भगवतसिंह पिता अमरसिंह राजपुत निवासी चावण्डिया तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. बंशी पिता नारू कुमावत निवासी चावण्डिया तह. सहाडा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

––विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–30.06.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम चावण्डिया पटवार क्षेत्र चावण्डिया, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत 2071–2074की खाता संख्या 150 में आराजी संख्या 781/1 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी II, आराजी संख्या 789/1 रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी II, कुल किता 2 रकबा 0.18 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीद्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया जिनमें से विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस की गई।

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम चावण्डिया पटवार क्षेत्र चावण्डिया, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत 2071–2074की खाता संख्या 150 में आराजी संख्या 781/1 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी II, आराजी संख्या 789/1 रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी II, कुल किता 2 रकबा 0.18 है0 भूमि स्थित है। **बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीअदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प चावण्डिया में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)